RAJASTHAN HIGH COURT JODHPUR सत्यमेव जयते

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 9250/2025

Mohan S/o Shri Naka Ji, Aged About 28 Years, R/o Upla Mandwa, P.s. Panarwa, District- Udaipur (Rajasthan) (Presently Lodged In Central Jail, Udaipur)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Love Jain
For Respondent(s)	:	Mr. Urjaram Kalbi, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

25/03/2026

01. प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस पुलिसथाना पानरवा, जिला उदयपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 102/2020, अपराध अन्तर्गत धारा 302/34 व 396 भारतीय दण्ड संहिता के मामले में प्रस्तुत हुआ है।

02. मैंने बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

03. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का तर्क है कि इस मामले में प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध कोई चश्मदीद साक्षी नहीं है। प्रार्थी–अभियुक्त को मृतक के साथ अन्तिम बार साथ देखने बाबत कोई साक्ष्य नहीं है। प्रार्थी–अभियुक्त से जब्तसुदा तथाकथित लाठी पर एफएसएल रिपोर्ट के मुताबिक कोई खून लगा हुआ नहीं पाया गया तथा प्रार्थी–अभियुक्त व सहअभियुक्तगण को घटनास्थल पर ले जाकर मौके पर पड़े पत्थरों में से पत्थर जब्त किये गये, जिन पर खून लगा हुआ होना एफएसएल रिपोर्ट से आया है परन्तु प्रार्थी–अभियुक्त के समान अन्य सहअभियुक्तगण पोपट, लक्ष्मण उर्फ ललिया, मोतीलाल, थावरा उर्फ थावरचन्द, इकबाल हुसैन, नानीया उर्फ नानालाल, लालुराम उर्फ लाला की जमानत इस न्यायालय के आदेश दिनांक क्रमशः 10.10.2025, 27.05.2025, 02.04.2025, 10.10.2024, 02.08.2024, 14.08.2023 को स्वीकार की जा चुकी है, प्रार्थी–अभियुक्त का मामला सहअभियुक्तगण से अधिक गंभीर नहीं है। प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 25.04.2021 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। अभी तक 25

गवाहान में से केवल 16 गवाहान के बयान हुए हैं, 9 गवाहान के बयान होना शेष है। विचारण में समय लगने की सम्भावना है। इन आधारों पर प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की।

04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध किया।

05. जमानत आवेदन पर मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया। सहअभियुक्तगण पोपट, लक्ष्मण उर्फ ललिया, मोतीलाल, थावरा उर्फ थावरचन्द, इकबाल हुसैन, नानीया उर्फ नानालाल, लालुराम उर्फ लाला की जमानत इस न्यायालय के आदेश दिनांक क्रमशः 10.10.2025, 27.05.2025, 02.04.2025, 10.10.2024, 02.08.2024, 14.08.2023 को स्वीकार की जा चुकी है, प्रार्थी–अभियुक्त का मामला सहअभियुक्तगण से अधिक गंभीर नहीं है। प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 25.04.2021 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। विचारण में समय लगने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

06. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना जुर्म की प्रकृति व परिस्थितियों में प्रार्थी–अभियुक्त को इस न्यायालय की राय में जमानत पर रिहा किया जाना उचित प्रतीत होता है।

07. परिणामतः जमानत आवेदन स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी–अभियुक्त **मोहन पुत्र नका** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अधीनस्थ न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रूपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास–पचास हजार रूपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

12-S N LOHRA/-